दिनांक–05 अक्टूबर, 2012 को मंत्रिपरिषद की बैठक में लिये गये निर्णयः–

कृषि विभाग

1. वर्ष 2012–13 से 2016–17 तक कुल 24273.67 लाख रूपये (वर्ष 2012–13–2111.41 लाख रू०, वर्ष 2013–14–5025.545 लाख रू०, वर्ष 2014–15–6545.833 लाख रू०,वर्ष 2015–16–8028.168 लाख रू०, वर्ष 2016–17–2562.714 लाख रू०) की लागत से 210 ई–किसान भवन की स्थापना हेतु प्रशासनिक स्वीकृति। **स्वीकृत।**

गृह (कारा) विभाग

2. राज्य के पहले मुक्त कारागार (Open Jail), बक्सर के लिए स्थायी/अनुबंध आधारित पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। **स्वीकृत।**

गृह (कारा) विभाग

3. केन्द्रीय कारा, मोतिहारी, केन्द्रीय कारा, पूर्णियाँ, नवसृजित मंडल कारा, शिवहर और नवसृजित उप कारा, बेनीपट्टी के लिए विभिन्न अतिरिक्त स्थायी पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। **स्वीकृत।**

गृह (कारा) विभाग

4. राज्य के दो केन्द्रीय कारा (केन्द्रीय कारा, पूर्णियाँ/मोतिहारी) एवं सभी मंडल कारा में वाहन चालक का पद सृजन की स्वीकृति। **स्वीकृत।**

गृह (कारा) विभाग

5. राज्य के कारा सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत कारा प्रशासन के सुचारू एवं सम्यक संचालन तथा प्रभावी नियंत्रण हेतु कारा निरीक्षणालय के मुख्यालय स्तर पर पाँच अतिरिक्त प्रशाखाओं के गठन तथा प्रत्येक प्रशाखा हेतु चार सहायक तथा 01 (एक) प्रशाखा पदाधिकारी के आधार पर कुल 20 (बीस) सहायक तथा 5 (पाँच) प्रशाखा पदाधिकारी के पदों के सृजन के संबंध में। **स्वीकृत।**

गन्ना उद्योग विभाग

6. वर्ष 2012–13 में राज्य योजना अंतर्गत कृषि रोड मैप के तहत मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम के लिए 35.325 (पैंतीस करोड़ बत्तीस लाख पचास हजार) करोड़ रूपये की योजनाओं का कार्यान्वयन की स्वीकृति का प्रस्ताव। **स्वीकृत।**

पंयायती राज विभाग

7. बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत बिहार पंचायत (उप विधि एवं विनियम–निर्माण– प्रक्रिया), नियमावली, 2012 के गठन के संबंध में। **स्वीकृत।**

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

8. राज्य के सभी 38 जिलों में जलापूर्ति की व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु अगले पाँच सालों के लिये प्रतिवर्ष बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यों की अनुशंसा पर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति पंचायत पाँच तथा शहरी क्षेत्रों में नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत प्रति वार्ड तीन, नगर परिषद् क्षेत्रान्तर्गत प्रति वार्ड दो तथा नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत प्रति वार्ड एक की दर से नये चापाकलों का निर्माण एवं बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यों की अनुशंसा पर प्रति सदस्य 100 की दर से चापाकलों के निर्माण हेतु "मुख्यमंत्री चापाकल योजना" नाम से प्रस्तुत नई योजना की स्वीकृति तथा वर्त्तमान वर्ष 2012–13 के लिए तदनुरूप कुल 55240 चापाकलों के निर्माण तथा निर्मित चापाकलों के अगले तीन वर्ष तक रख–रखाव एवं मरम्मति हेतु कुल ₹ 22529.80 लाख (दो सौ पचीस करोड़ उनतीस लाख अस्सी हजार रूपये मात्र) की राशि पर प्रस्तुत योजना की स्वीकृति। **स्वीकृत।**

जल संसाधन विभाग

9. पश्चिमी गंडक नहर, बिहार (सारण मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली) ई॰आर॰एम॰ के पुनर्स्थापन कार्य हेतु प्राक्कलित राशि ₹ 2169.51 करोड़ (दो हजार एक सौ उनहत्तर करोड़ एकावन लाख रूपये) की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में। **स्वीकृत।**

कृषि विभाग

10. वित्तीय वर्ष 2010–11 से शुरू कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान कार्यक्रम के अधीन 1 अप्रील, 2011 से 31 मार्च, 2012 तक दी गयी फसल ऋण/के०सी०सी० ऋण/अल्पावधि कृषि उत्पादन ऋण पर ब्याज अनुदान अनुमान्य करने की स्वीकृति। **स्वीकृत।**

गृह विभाग

11. राज्य की काराओं में संसीमित बंदियों द्वारा किये जाने वाले कार्यों का पुनर्वर्गीकरण, मजदूरी का पुनरीक्षण तथा अपराध पीड़ित परिवार को दी जाने वाली राशि के पुनरीक्षण के संबंध में। **स्वीकृत।**

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

(मत्स्य)

12. चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में कृषि रोड मैप के अनुरूप समग्र मत्स्य विकास परियोजना अन्तर्गत ₹ 44.00 करोड़ (चौआलीस करोड़) बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम लेकर विभिन्न मत्स्य विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन एवं उनपर व्यय के लिए मंत्रिपरिषद् के स्वीकृति हेतु प्रस्ताव। **स्वीकृत।**

योजना एवं विकास विभाग

13. योजना एवं विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन गठित स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के अंतर्गत जिला स्तरीय कार्य प्रमंडल के लिए 228 संविदा आधारित नियत वेतन पर सृजित अराजपत्रित पदों को निर्धारित वेतनमान में सम्परिवर्तित एवं सृजित करने के प्रस्ताव की स्वीकृति। **स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

14. जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनीतिक शोध संस्थान, पटना में भूतलक्षी प्रभाव से सृजित पदों की स्वीकृति के संबंध में। **स्वीकृत।**

ह0/–
(अशोक कुमार सिन्हा)
मुख्य सचिव, बिहार